

पत्रांक : टी.टी.प्रे. 119/1 / 2017  
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17



सेवा में  
विद्यार्थी परिषद  
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति  
पटना-17

सेवा में  
प्राचार्य / प्राचार्या  
पतीक कॉलेज ऑफ एजुकेशन,  
पटना-सीवान।

पटना, दिनांक 26/9 / 2017

विषय : डी.एल.एड. कोर्स संचालन हेतु सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाराज,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सूचित करना है कि क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मुंबई द्वारा राष्ट्रीय कोर्स ERC APP3329 दिनांक 03.03.2016 द्वारा प्रदान किये गये मान्यता के परिप्रेक्ष्य में एच.टी.ए. (अध्यापक शिक्षा समिति) (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के आलोक में सस्थान का स्थलीय निरीक्षणोपरांत समर्पित संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित शर्तें/सुझाव एव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निम्नांकित शर्तों के साथ सम्बद्धता प्रदान करने की अनुमति की गयी :-

शर्तें :-

1. सस्थान द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा रेगुलेशन-2014 में निर्धारित मानकों एवं मानदण्डों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
2. महाविद्यालय को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद रेगुलेशन-2014 के परिशिष्ट-2 अनुच्छेद-2.2 (ac) में निहित प्रावधानों; यथा प्रत्येक वर्ष में दो सौ दिनों का कार्य दिवस समय एवं कक्षा आदि का पालन किया जाना आवश्यक होगा तथा यह अवधि नामांकन एवं परीक्षा कार्य में व्यतित की गयी अवधि के अतिरिक्त होगी।
3. महाविद्यालय 11 नामांकन एवं पाठ्यक्रम के सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा College of professional education एव Maa Vaishno Devi Mahila Mahavidyalay बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में पारित न्यायादेश जो क्रमशः (2013) 2 SSC 721 एवं (2013) 2 SSC 617 में प्रकाशित कडिका 911-912 के साथ कडिका-2 में दिये गये निर्देश के आलोक में निर्धारित मापदंडों को पालन करना सुनिश्चित करेगा।
4. यदि महाविद्यालय द्वारा नामांकन एवं कोर्स प्रारंभ करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय दिया जा चुका है तथा पालन किया जाता है अथवा विनियमावली में निर्धारित वर्ग संचालन प्रत्येक वर्ष सुरुवात से ही नहीं हो पाया है तो ऐसी स्थिति में समिति द्वारा महाविद्यालय को परीक्षा न चर्का कर सम्बद्धता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय अथवा विद्यार्थी द्वारा सर्वोच्च परीक्षा में सम्मिलित होने का दावा अनुमान्य नहीं होगा।
5. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सम्बद्धता प्राप्त सस्थानों का समय-समय पर पदाधिकारियों/विशेषज्ञों के माध्यम से निरीक्षण एवं परीक्षण कराने हेतु साक्ष्य होगी।
6. संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष अपने आय व्यय से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन समिति को उपलब्ध कराया जाएगा।
7. सस्था विद्यार्थी व्यय से मानक के अनुसार नियुक्त एवं कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों के वेतन/वेतन का अनुमान वक्त का माध्यम से कराने एवं उसके विषय निधि कटौती का विवरण संधारित करेगा।

Principal  
Pratik College of Education  
Siwan

8. नियुक्त किये गये शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों के पद त्याग करने अथवा हटाये जाने के संबंध में सूचना तत्काल समिति को दी जाएगी एवं उक्त पद पर नियुक्ति नियमानुसार शीघ्र की जाएगी।
  9. संस्थान के विरुद्ध किसी भी प्रकार का परिवाद/शिकायत प्राप्त होने पर जॉचोपरांत आरोप प्रमाणित होने पर सम्बद्धता रद्द करते हुए मान्यता रद्द करने की अनुशंसा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से की जाएगी।
  10. प्रतिवर्ष नामांकन सुनिश्चित करने के उपरान्त संस्थान द्वारा एक प्रमाण-पत्र समिति को उपलब्ध कराया जाएगा कि नामांकित बच्चों का प्रमाण पत्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है एवं इनका सत्यापन निगंत करनेवाले संबंधित संस्थान से करा लिया गया है।
  11. प्रबंधन समिति का नियमानुसार गठन कर सदस्यों की सूची समिति को उपलब्ध करायी जाएगी।
  12. महाविद्यालय के छाता का संचालन प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य अथवा प्राचार्या एवं परीय व्याख्याता के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।
  13. जब कभी भी जरूरी होगा संस्थान को समिति अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को जानकारी अथवा संस्थान को उपलब्ध कराने हेतु तथा कोई भी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाना भी सम्बद्धन की शर्तों का उल्लंघन समझा जाएगा।
  14. संस्थान को ऐसे रिकॉर्ड, रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेज जो किसी शैक्षणिक संस्थान चलाने के लिए अनिवार्य हैं, रखने होंगे।
  15. संस्थान निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य प्रकटन का पालन करेगा तथा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अद्यतन जानकारी प्रदर्शित करेगा। समिति द्वारा समय-समय पर इसकी छानबीन की जाएगी एवं ऐसा नहीं किया जाना सम्बद्धन की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।
  16. यदि किसी संस्थान को पूर्व/वर्तमान से संचालित डी.एड. कोर्स की मान्यता सम्बद्धता समाप्त की जाती है तो डी.एल.एड. कोर्स की सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जाएगी।
  17. संस्थान द्वारा नामांकन लेने से पूर्व सभी संकाय सदस्यों की नियुक्ति एवं योगदान के साथ उनके बैंक खाता को आधार नम्बर से सम्बद्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।
- अतः आदेशानुसार उपरोक्त शर्तों के साथ आपके संस्थान का शैक्षणिक सत्र 2017-19 से 02 यूनिट (100) प्रशिक्षणार्थियों को दो वर्षीय डी.एल.एड. कोर्स संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

ज्ञापांक : टी.टी.प्रे. 1494 पटना, दिनांक 26/9/2017  
 प्रतिलिपि : क्षेत्रीय निदेशक ERC, NCTE क्षेत्रीय कार्यालय, नीलकंठ नगर, नयापल्ली, मुवनेश्वर, उडीसा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/अध्यक्ष के आप्त सचिव एवं सचिव के आप्त सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

ज्ञापांक : टी.टी.प्रे. 1494 पटना, दिनांक 26/9/2017  
 प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, विशाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17



पत्रांक : टी.टी.प्रे. 605/2018  
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

प्रति,

निदेशक (सहायक),  
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,  
पटना-17

सत्ता में,

पाठ्यार्थ/ प्राचार्या,  
प्रतीक कॉलेज ऑफ एजुकेशन,  
शेखर, रीवांग।

पटना, दिनांक 10/05/2018

विषय : डी.एल.एड. कोर्स संचालन हेतु सम्बद्धता (Affiliation) प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,


उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सूचित करना है कि क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मुम्बई/दिल्ली के पत्रांक F. No. ERC-252.6.13/D.El.Ed.(Addl. Intake) 2018/56307, दिनांक 03.03.2018 द्वारा प्रदान किये गये मान्यता के परिप्रेष्य में एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनावृत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के अन्तर्गत में संस्थान का स्थलीय निरीक्षणोपरांत समन्वित संयुक्त जॉइंट प्रतिवेदन में प्रतिवेदित शर्त/सुझाव एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनावृत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निर्धारित शर्तों के साथ सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गयी।

शर्त :-

1. संस्थान द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा रेगुलेशन, 2014 में निर्धारित मानकों एवं मानदण्डों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
2. महाविद्यालय को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद रेगुलेशन, 2014 के परिशिष्ट-2 अनुच्छेद-22 (ac) में निहित प्रावधानों, यथा प्राच्यक वर्ष में दो-दो दिनों का कार्य दिवस समय एवं कक्षा आदि का पालन किया जाकर आवश्यक सेवा तथा जो अति-आयोजन एवं वरीयता शर्तों में अतिरिक्त की गयी अतिरिक्त होना।
3. महाविद्यालय को न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा College of professional education एवं Maa Vinshoo Devi Mahila Mahavidyalay बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में पारित न्यायादेशों जो क्रमशः (2013) 2 SSC 721 एवं (2013) 2 SSC 617 में पत्राक्षित कंडिका 91.1, 91.2 के साथ कंडिका-2 में दिये गये निदेश के अन्तर्गत में निर्धारित मापदंडों को पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
4. यदि महाविद्यालय द्वारा समाकलन एवं कोर्स प्रारंभ करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा का उल्लंघन किया जाता है अथवा विनियमावली में निर्धारित बर्ष संचालन प्रत्येक वर्ष म्यूनलम 200 दिनों का कार्य दिवस पूरी नहीं करती है तो वैसी स्थिति में समिति द्वारा महाविद्यालय को परीक्षा से वंचित कर सम्बद्धता रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय अथवा विद्यार्थी द्वारा संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होने का दावा अनुशासन नहीं होगा।
5. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संस्थानों प्राप्त संस्थानों का समय-समय पर पदाधिकारियों/विशेषज्ञों के माध्यम से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने हेतु सक्षम होगी।
6. संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष अपने जय व्यय से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन समिति का उपलब्ध कराया जाएगा।
7. संस्था विद्यार्थी रूप से मान्यता के अनुसार नियुक्त एवं कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों के मानदेय/वेतन का गुणमान बैंक के माध्यम से करेंगे एवं उसका वार्षिक निधि कटौती का विवरण संचालित करेंगी।
8. नियुक्त किये गए शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों के पद लाभ करने अथवा हटाये जाने के संबंध में गुणमान/वेतन समिति का भी कार्यवाही एवं लक्ष्य तक पर नियमित विद्यमानसार जीवित की जाएगी।

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
Principal  
Pratik College of Education



9. संस्थान को निदेश मिलेगी जो प्रत्येक वर्ष परिवर्तित/शिकारकृत प्राप्त होने पर निर्धारित प्रमाण प्रस्तुत होने पर संचालन के लिए संस्थान को जरूरत है राष्ट्रीय अकादमिक शिक्षा परिषद से की जाएगी।
  10. प्रत्येक वर्ष संस्थान को अपने वार्षिक/संस्थान द्वारा एक प्रमाण-पत्र समिति को उपलब्ध कराया जाएगा कि निर्धारित कक्षा का प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय अकादमिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानक है।
  11. प्रमाण-पत्रों का निष्कर्षानुसार गठन कर सदस्यों की सूची समिति को उपलब्ध करायी जाएगी।
  12. विभागीय स्तर के खाता का संचालन प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य अथवा प्राचार्या एवं वरीय व्यक्तियों के समुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।
  13. जब कभी भी जरूरी होना संस्थान को समिति के आदेश पर एक अधिकृत प्रतिनिधियों को आवश्यक अथवा आवश्यक संस्थान अपने समय-समय पर की जायें। निर्धारित प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर संस्थान को प्रमाण-पत्र के अभाव में एच.एल.एड. कोर्सों का संचालन नहीं करना चाहिए।
  14. संस्थान को एक शिक्षक, संचालक तथा अन्य पदाधिकारी जो किसी शैक्षणिक संस्थान चलाने के लिए अनिवार्य है, रखने होंगे।
  15. संस्थान निर्धारित प्रमाण-पत्र में अनिवार्य प्रकटन का पालन करेगा तथा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अध्यापन जानकारी प्रदर्शित करेगा। समिति द्वारा समय-समय पर उनकी जानकारी की जाएगी एवं ऐसा नहीं किया जाना संस्थान की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।
  16. यदि किसी संस्थान को पूर्व/वर्तमान से संचालित बी.एड. कोर्स की गणना सम्बद्धता समाप्त की जाती है तो बी.एल.एड. कोर्सों की सम्बद्धता समाप्त संकाय हो जाएगी।
  17. संस्थान द्वारा मायका के रूप में पूर्व शर्तों के अंतर्गत संस्थान की निर्धारित एवं मायका के साथ संकाय के अंतर्गत संकाय-संख्या से सम्बद्ध करवाया सुनिश्चित करेगा।
- अतः आदेशानुसार उपरोक्त शर्तों के साथ आपके संस्थान को शैक्षणिक वर्ष 2018-20 से अंतरिक्ष प्रवेश शर्तों में इंजि: 02 यूनिट (100) प्रतिभागियों को दो वर्षीय बी.एल.एड. कोर्स संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना-17

ज्ञापक :  
प्रतिलिपि :

टी.सी.प्र. 605 / 2018 . पटना, दिनांक 10/05/2018  
 क्षेत्रीय निदेशक, ERC, NCTE क्षेत्रीय कार्यालय, नीलकंठ नगर, नयापल्ली, मुजफ्फर,  
 उत्तरीय/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बिहार, पटना/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण, शिक्षा विभाग,  
 बिहार, पटना/अध्यक्ष के आगत समिति एवं सचिव के आगत सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा  
 समिति, पटना को सूचनाएं प्रेषित।

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17

ज्ञापक :  
प्रतिलिपि :

टी.सी.प्र. 605 / 2018 . पटना, दिनांक 10/05/2018  
 जिला शिक्षा पदाधिकारी सहाय को सूचनाएं प्रेषित।

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना-17